वार्षिक प्रतिवेदन

(वित्तीय वर्ष 2016-2017)

झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची–834001

झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची–834001

भारत का संविधान के अनुच्छेद 323 (2)

के अनुपालन में

झारखण्ड लोक सेवा आयोग का

वार्षिक प्रतिवेदन

(प्रतिवेदन अवधि माह अप्रैल 2016 से माह मार्च 2017 तक)

माननीया राज्यपाल

झारखण्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

प्रस्तावना एवं कृतज्ञता

झारखण्ड लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन भारत का संविधान के अनुच्छेद 323(2) में वर्णित कर्त्तव्यों एवं दायित्वों के अनुपालन में माननीया राज्यपाल, झारखण्ड के समक्ष सहर्ष प्रस्तुत करता है। यह वार्षिक प्रतिवेदन 01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक की अवधि के लिए है। प्रतिवेदन में आलोच्य अवधि में आयोग के विभिन्न कृत्यों का सारांश तथ्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करने का यथासंभव प्रयास किया गया है। झारखण्ड लोक सेवा आयोग ने अपने कृत्यों में भारत का संविधान द्वारा प्रदत्त दायित्वों के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा तथा प्रतिबद्धता को कायम रखने हेतु सार्थक प्रयास किया है।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2016 में विभिन्न विभागों के 326 पदों हेतु प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया एवं सिविल जज जूनियर डिवीजन (विशेष भर्त्ती) परीक्षा एवं सिविल जज जूनियर डिवीजन (सीधी भर्त्ती) परीक्षा के कुल 66 पदों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया। इसके अलावा सीधे साक्षात्कार के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया गया। कुल 07 विज्ञापनों में सीधे साक्षात्कार के द्वारा कुल 112 अभ्यर्थियों की अनुशंसा सरकार को भेजी गयी। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची ने इस अवधि में विश्वविद्यालय संबंधी मामलों में झारखण्ड के कुल पाँच विश्वविद्यालयों में कुल 29 (उनतीस) प्रोन्नति के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की एवं कुल 02 (दो) प्रोन्नति के प्रस्ताव पर असहमति प्रदान की। साथ ही विश्वविद्यालय के बर्खास्तगी के मामले में आयोग ने एक (01) बर्खास्तगी प्रस्ताव पर सहमति दी।

सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा प्रेषित अनुशासनिक एवं विभागीय कार्यवाही मामलों में आयोग के द्वारा कुल 10 (दस) अनुशासनिक मामलों में सहमति प्रदान की गई। साथ ही आयोग द्वारा विभिन्न विभागों की कुल 06 (छः) नियमावलियों पर सहमति प्रदान की गयी।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत कुल 477 आवेदनों में त्वरित कार्रवाई कर निस्तारित किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपीलीय अधिकार द्वारा 60 मामलों का निष्पादन किया गया।

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर 108 मामलों के विरुद्ध आलोच्य अवधि में कुल 45 मामलों में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निष्पादन करने की कृपा की गई।